बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

प्रेस – विज्ञप्ति

संविदा पर नियोजन हेतु सूचना

अंतिम तिथि–20.01.2017 को 3:00 बजे अपराह्न तक

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना अंतर्गत गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन कनीय अभियंता (असैन्य) के रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सेवानिवृत्त/निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कनीय अभियंता (असैन्य) से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस प्रयोजनार्थ शर्तें निम्नवत् होंगी :–

1. **योग्यता/पात्रता :–**
   - i. आवेदक मूल रूप से भारतीय नागरिक हों।
   - ii. जिन पर किसी विभाग में कोई निगरानी का मामला नहीं चल रहा हो।
   - iii. जिन पर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं चल रही हो।
   - iv. जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन नहीं हो।
   - v. जिन पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो।
   - vi. आवेदक की उम्र दिनांक 01.10.2016 को 63 (तिरसठ) वर्ष से अधिक नहीं हों एवं पूर्ण रूप से स्वस्थ्य हों।
   - vii. आवेदक बिहार राज्य के किसी विभाग/निकाय में असैन्य कनीय अभियंता के रूप में समकक्ष पद पर कार्यरत हों/रहे हों।
   - viii. आवेदक की सेवा संतोषप्रद रही हो।

2. **चयन की प्रक्रिया :–** प्राप्त आवेदनों को इस प्रयोजनार्थ गठित राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। समिति आवेदक की योग्यता एवं कार्य अनुभव को ध्यान में रखते हुए चयन हेतु अनुशंसा करेगी, जो अंतिम रूप से मान्य होगा।

3. **चयन की अधिमानता :–** योजना एवं विकास विभाग के अधीन कार्यानुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को उम्र, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर चयन में अधिमानता दी जायेगी।

4. **मानदेय एवं अन्य शर्तें :–** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित शर्तों के अधीन सभी प्रावधान लागू होंगे। उक्त संकल्प की प्रति योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट http://planning.bih.nic.in पर भी (प्रेस विज्ञप्ति के अनुलग्नक के रूप में) देखी जा सकती है।

5. **नियोजन की अवधि :–** संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से अधिकतम दो वर्षों अथवा उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो पहले हो) की होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 (पैंसठ) वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरान्त किया जा सकेगा।

कार्यों की समीक्षा सावधिक अंतराल पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं रहने पर उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

6. उक्त नियोजन सम्प्रति आरक्षण के निमित लागू प्रावधान के अधीन होंगे।

7. कनीय अभियंता (असैन्य) के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र

पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटोग्राफ जिसपर आवेदक का हस्ताक्षर हो

i. आवेदनकर्ता का नाम :—
(हिन्दी एवं अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में)

ii. पिता/पति का नाम :—
(हिन्दी एवं अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में)

iii. जन्म तिथि :—

iv. उम्र :— (वर्ष............... माह...............दिवस............)
(दिनांक 01.10.2016 को)

v. स्थायी पता :—

vi. पत्राचार पता :—

vii. शैक्षणिक योग्यता :—

क्र0	शैक्षणिक योग्यता	संस्थान/ विश्वविद्यालय	परीक्षा उत्तीर्णता का वर्ष	अंक			श्रेणी
				पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	
1							
2							
3							

viii. कार्य अनुभव का विवरण :—

क्र0	पद का नाम	अवधि	विभाग का नाम	अभ्युक्ति
1				
2				
3				

8. **आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण–पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जायेगी :–**

   i. उम्र के प्रमाण हेतु मैट्रिक या समकक्ष परीक्षोत्तीर्णता का प्रमाण–पत्र।
   ii. असैन्य डिप्लोमा अभियंत्रण की परीक्षा में उत्तीर्णता होने का प्रमाण–पत्र।
   iii. सेवानिवृत्त कर्मचारी के मामले में संबंधित विभाग द्वारा निर्गत पेंशन/उपादान के स्वीकृत्यादेश से संबंधित पत्र की प्रति।
   iv. असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र।

घोषणा–पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ की समर्पित सभी मूल प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति से संबंधित सभी मूल प्रमाण–पत्र मेरे पास उपलब्ध है एवं जब कभी इनकी मांग की जायेगी तो उन्हें निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। अगर समर्पित कोई भी प्रमाण–पत्र गलत पाया गया अथवा की गई घोषणा/उक्ति झूठी पायी गई तो नियोजन रद्द कर दी जाय और मेरे विरूद्ध अपेक्षित कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

दिनांकः–...

आवेदक का हस्ताक्षर

9. **आवेदन की प्राप्ति :–** उक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु इच्छुक अभियंता का उक्त प्रमाण पत्रों एंव घोषणा–पत्र के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन ई–मेल के माध्यम से दिनांक 20.01.2017 के 3:00 बजे अपराह्न तक निम्नांकित पते पर निबंधित डाक एवं ई–मेल आइ0डी0(hr.secyplandev@gmail.com) पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही आवेदन को डाक द्वारा भी इस प्रकार भेजा जाय कि आवेदन उक्त निर्धारित तिथि एवं समय तक डाक विभाग द्वारा इस विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय।

   संयुक्त निदेशक,
   योजना एवं विकास विभाग,
   बिहार, पटना–800015
   ई–मेल आइ0डी0–hr.secyplandev@gmail.com

निबंधित डाक एवं ई–मेल के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे। उक्त निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों, अधूरे भरे गये आवेदन पत्रों एवं बिना वांछित प्रमाण–पत्रों के साथ भेजे गये आवेदनों को मान्य नहीं किया जायेगा।

13/12/16

संयुक्त निदेशक
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना।